

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

राजस्व मामला क्रमांक 202604130100013/अ-59 वर्ष 2025-26

(1)	(2)	(3)
16/04/2026	— आवेदक कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग धमतरी जिला-धमतरी द्वारा पत्र क्रमांक/634/शिल्प-26, धमतरी, दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से महासमुंद वनमण्डल अन्तर्गत पिथौरा परिक्षेत्र ग्राम धरमपुरा कक्षा क्रमांक 287 में प्रस्तावित मार्ग निर्माण किये जाने के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम अमलीडीह प0ह0नं0 13 तहसील मगरलोड, स्थित भूमि खसरा नंबर 1649 का टुकड़ा 4.40 हे0, खसरा नंबर 1651/1 रकबा 6.000 हे0, खसरा नंबर 1651/3 का टुकड़ा रकबा 23.50 हे0, खसरा नंबर 1529 रकबा 0.85 हे0, खसरा नंबर 1530 रकबा 0.45 हे0 खसरा नंबर 1527 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे0 एवं खसरा नंबर 1528 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे0 कुल रकबा 40.80 हे0 को वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई है। 02/— कनिष्ठ अधिकारी तहसीलदार मगरलोड एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 15/04/2026 अनुसार ग्राम अमलीडीह प0ह0नं0 13 तहसील मगरलोड, स्थित भूमि खसरा नंबर 1649 का टुकड़ा 4.40 हे0, खसरा नंबर 1651/1 रकबा 6.000 हे0, खसरा नंबर 1651/3 का टुकड़ा रकबा 23.50 हे0, खसरा नंबर 1529 रकबा 0.85 हे0, खसरा नंबर 1530 रकबा 0.45 हे0 खसरा नंबर 1527 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे0 एवं खसरा नंबर 1528 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे0 कुल रकबा 40.80 हे0 को वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। चयनित स्थल पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण एवं विवाद की स्थिति नहीं है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मद में परिवर्तन करने की अनुशंसा की गई है। 03/— अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम अमलीडीह प0ह0नं0 13 तहसील मगरलोड, स्थित भूमि खसरा नंबर 1649 का टुकड़ा 4.40 हे0, खसरा नंबर 1651/1 रकबा 6.000 हे0, खसरा नंबर 1651/3 का टुकड़ा रकबा 23.50 हे0, खसरा नंबर 1529 रकबा 0.85 हे0, खसरा नंबर 1530 रकबा 0.45 हे0 खसरा नंबर 1527 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे0 एवं खसरा नंबर 1528 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे0 कुल रकबा 40.80 हे0 को छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (2) के तहत निस्तार पत्रक से पृथक करते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-क्रमांक 02 की कंडिका 5 एवं छ.ग. शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक/परिपत्र क्रमांक/एफ-4- 135/सात-1/6 रायपुर, दिनांक 10/08/2026 के तहत वन विभाग के पक्ष में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित किया जाता है। तदनुसार पृथक से आदेश जारी हो। सर्व-संबंधितों को आदेश की प्रति भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद की ओर अभिलेख दुरुस्ती एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण पश्चात नस्तीबद्ध आदेशार्थ लौटाने हेतु अग्रेषित। अ.वि.अ. (रा.) कुरुद  क. ल. कुलकर्णी जिला-धमतरी धमतरी (छ.ग.)	

न्यायालय कलेक्टर धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/194/वाचक/कलेक्टर/2026

धमतरी, दिनांक 16/04/2026

प्रकरण क्रमांक 202604130100013/अ-59 वर्ष 2025-26

आवेदक कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग धमतरी जिला-धमतरी द्वारा पत्र क्रमांक/634/शिल्प-26, धमतरी, दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से महासमुंद वनमण्डल अन्तर्गत पिथौरा परिक्षेत्र ग्राम धरमपुरा कक्ष क्रमांक 287 में प्रस्तावित मार्ग निर्माण किये जाने के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम अमलीडीह प०ह०न० 13 तहसील मगरलोड, स्थित भूमि खसरा नंबर 1649 का टुकड़ा 4.40 हे०, खसरा नंबर 1651/1 रकबा 6.000 हे०, खसरा नंबर 1651/3 का टुकड़ा रकबा 23.50 हे०, खसरा नंबर 1529 रकबा 0.85 हे०, खसरा नंबर 1530 रकबा 0.45 हे० खसरा नंबर 1527 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे० एवं खसरा नंबर 1528 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे० कुल रकबा 40.80 हे० को वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई है।

02/- कनिष्ठ अधिकारी तहसीलदार मगरलोड एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 15/04/2026 अनुसार ग्राम अमलीडीह प०ह०न० 13 तहसील मगरलोड, स्थित भूमि खसरा नंबर 1649 का टुकड़ा 4.40 हे०, खसरा नंबर 1651/1 रकबा 6.000 हे०, खसरा नंबर 1651/3 का टुकड़ा रकबा 23.50 हे०, खसरा नंबर 1529 रकबा 0.85 हे०, खसरा नंबर 1530 रकबा 0.45 हे० खसरा नंबर 1527 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे० एवं खसरा नंबर 1528 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे० कुल रकबा 40.80 हे० को वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। चयनित स्थल पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण एवं विवाद की स्थिति नहीं है। अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम अमलीडीह प०ह०न० 13 तहसील मगरलोड, स्थित भूमि खसरा नंबर 1649 का टुकड़ा 4.40 हे०, खसरा नंबर 1651/1 रकबा 6.000 हे०, खसरा नंबर 1651/3 का टुकड़ा रकबा 23.50 हे०, खसरा नंबर 1529 रकबा 0.85 हे०, खसरा नंबर 1530 रकबा 0.45 हे० खसरा नंबर 1527 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे० एवं खसरा नंबर 1528 का टुकड़ा रकबा 2.80 हे० कुल रकबा 40.80 हे० को छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (2) के तहत निस्तार पत्रक से पृथक करते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-क्रमांक 02 की कंडिका 5 एवं छ.ग. शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक/परिपत्र क्रमांक/एफ-4-135/सात-1/6 रायपुर, दिनांक 10/08/2026 के तहत वन विभाग के पक्ष में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा सहित आज दिनांक 16/04/2026 को जारी किया



क्रमांक/195/वाचक/कलेक्टर/2026
प्रतिलिपि-

(अविनाश मिश्रा)
कलेक्टर
जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 16/04/2026

- 01/- सचिव छ.ग. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02/- आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 03/- वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 04/- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को सूचनार्थ।
- 05/- कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग धमतरी जिला-धमतरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 06/- तहसीलदार मगरलोड को सूचनार्थ अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्ती उपरांत अद्यतन प्रतिलिपि संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(अविनाश मिश्रा)
कलेक्टर
जिला धमतरी (छ.ग.)